

कार्यालय

जिला

मजिस्ट्रेट,

गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक: 1892/एस0टी0-डी0एम0/कोरोना वायरस/2020

दिनांक: 24 मार्च, 2020

आदेश

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2020-रा0-11 दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 389/71-3-2020 दिनांक 26 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5 -2020 लखनऊ, दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रस्तर संख्या-12(सात) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला मजिस्ट्रेट ब्रजेश नारायण सिंह तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में प्रभावित व्यक्तियों के पृथक्करण के लिए 200 आइसोलेशन बेड और 100 बेड कोरेनटाईन हेतु संरोधन इकाई के रूप में शारदा अस्पताल (शारदा विश्वविद्यालय परिसर) ग्रेटर नोएडा (भवन एवं उपलब्ध चिकित्सकीय संसाधनों सहित) को अग्रिम आदेशों तक अभिहित करता हूँ और इसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार हेतु कोरेनटाईन एवं आइसोलेशन बेड के रूप में कियाशील किये जाने हेतु हस्तगत (Handover) करता हूँ। उक्त के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर शारदा अस्पताल (शारदा विश्वविद्यालय परिसर) ग्रेटर नोएडा के सम्बन्धित अधिकारियों से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 200 आइसोलेशन बेड और 100 बेड कोरेनटाईन के सेन्टर को तत्काल कियाशील करते हुए संचालित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

८०

(ब्रजेश नारायण सिंह)

जिला मजिस्ट्रेट,

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर।
7. उप जिलाधिकारी, सदर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।
9. चिकित्सा अधीक्षक/जनसम्पर्क अधिकारी, शारदा अस्पताल (शारदा विश्वविद्यालय परिसर) ग्रेटर नोएडा।
10. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

जिला मजिस्ट्रेट,

गौतमबुद्धनगर।

